राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जांच) विभाग

क्रमांकः प.3(1)कार्मिक/क–3/जांच/04पार्ट जयपुर, दिनांकः 14 MAY 2013

समस्त शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव,
समस्त सम्भागीय आयुक्त,
समस्त आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त (विभागीय जांच) एवं
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर्स सहित)

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि आरोपित अधिकारी जिनके विरूद्ध आरोप पत्र जारी किये जाने के पश्चात् उनके लिखित कथन से संतुष्ट नहीं होने के कारण जांच अधिकारी के जरिये विस्तृत जांच किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं। इस दौरान आरोपित अधिकारी राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कर जांच कार्यवाही को निरस्त करवाने, जांच कार्यवाही को अवैध घोषित करवाने अथवा जांच कार्यवाही को निर्धारित समय में शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण हेतु प्रयास करते हैं। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकार के प्रकरणों में यह निर्देशित किया जाता है कि जांच को 3 माह अथवा अन्य किसी निश्चित समयावधि में निस्तारित किया जावे। ऐसे प्रकरणों में प्रायः आरोपित अधिकारी भी जांच कार्यवाही में सहयोग नहीं करते हैं, इससे अधिनस्थ स्तर पर जांच कार्यवाही समाप्त होने में विलम्ब होता है परन्तु विलम्ब के सम्बन्ध में जांच अधिकारी जांच कार्यवाही समाप्त नहीं कर विलम्ब के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण या जवाब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं। जांच अधिकारियों का प्रायः यह तर्क होता है कि रिट याचिका में वे पक्षकार नहीं है परन्तु इस प्रकार के तकनीकी प्रश्नों से उच्च न्यायालय के निर्धारित समय में जांच कार्यवाही समाप्त नहीं करने के आदेश की अवहेलना होती है।

अतः समस्त जांच अधिकारियों एवं उपस्थापक अधिकारियों एवं उससे सम्बन्धित समस्त अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है किः–

1. जिन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा निर्धारित समय में जांच कार्यवाही समाप्त करने के निर्देश उच्च न्यायालय से प्राप्त हुए हैं, उन्हें निर्धारित समय के भीतर ही जांच कार्यवाही सम्पादित करने हेतु दिन–प्रतिदिन सुनवाई निश्चित करें। यदि आरोपित अधिकारी सहयोग नहीं करते हैं तो इस सम्बन्ध में कारण उल्लेखित करते हुए जांच कार्यवाही एकतरफा की जाकर यथासमय शीघ्र निर्धारित समय में जांच पूरी की जावे। इसकी कठोरता से पालना सुनिश्चित करें अन्यथा निर्धारित समय में जांच कार्यवाही सम्पूर्ण नहीं होने की स्थिति में जांच अधिकारी स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे। न्यायालय आदेश की अवमानना की स्थिति में जांच अधिकारी के विरूद्ध यदि न्यायालय द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है तो इस हेतु जांच अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे।

2. अति विशिष्ट परिस्थितियों में यदि जांच अधिकारी न्यायालय में दी गई निर्धारित समयावधि में जांच कार्यवाही पूर्ण करना सम्भव नहीं हो, तो जांच अधिकारी सम्पूर्ण औचित्य के साथ जिन कारणों से जांच कार्यवाही निर्धारित समय में पूर्ण नहीं हो रही हो, उनका उल्लेख करते हुए निर्धारित समय से 15 दिन पूर्व कार्मिक विभाग एवं प्रकरण से सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी को लिखित में सूचित करे ताकि न्यायालय में जांच कार्यवाही में पूरी करने हेतु समयावधि बढ़ाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सके।

13.5.2013

(सुदर्शन सेठी)
शासन प्रमुख सचिव